

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	तिरुवनंतपुरम	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	तिरुवनंतपुरम	
नगर	तिरुवनंतपुरम	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार अधिकार क्षेत्र
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, विशेष रेंज, तिरुवनंतपुरम	आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, विशेष रेंज, तिरुवनंतपुरम	<p>केरल राज्य में</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) तिरुवनंतपुरम जिला के सभी तालूक</li> <li>2) कोल्लम जिला के करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर सारे तालूक</li> <li>3) पत्तनमतिट्टा जिला का अडूर तालूक</li> </ol> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए स्थानों में हो और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.10 करोड या उससे अधिक हो अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.10 करोड या उससे अधिक हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जिन्हें वेतन, गृह संपत्ति, कारोबार या वृत्ति और अन्य स्रोतों से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत हो और कुल आय या हानि रु.10 करोड या उससे अधिक हो।</p> <p>(ग) निदेशक या भागीदार/सदस्य जिनका ऊपर (क) व (ख) में पर्याप्त हित हो।</p>
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-1, तिरुवनंतपुरम	आ.उप/सहा. आयुक्त, सर्किल 1(1), तिरुवनंतपुरम	<p>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निवासी कंपनियों के सभी मामले जो कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए स्थानों में हो और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक एवं रु.10 करोड से कम हो।</p> <p>(ख) निदेशक जिनका उपर्युक्त कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>

<p><b>आ.उप/सहा. आयुक्त, सर्किल 1(2), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर फर्मों/व्यक्तियों के संगम/व्यष्टि निकायों के सभी मामले जिनका मुख्य कार्यालय/कारोबार का प्रधान स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक एवं रु. 10 करोड से कम हो ।</p> <p>(ख) भागीदार/सदस्य जिनका ऊपर (क) में बताए गए सत्ताओं में पर्याप्त हित हो ।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक एवं रु.10 करोड से कम हो ।</p> <p>(घ) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति और वेतन से इतर स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक एवं रु. 10 करोड से कम हो ।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1(1), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के सभी मामले जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए स्थानों में हो और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p> <p>(ख) निदेशक जिनका उपर्युक्त (क) में बताए गए कंपनियों में पर्याप्त हित हो ।</p>

	<p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर फर्मों/व्यक्तियों के संगम/व्यष्टि निकायों के सभी मामले जिनके कारोबार/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(घ) भागीदार/सदस्य जिनका ऊपर (ग) में बताए गए सत्ताओं में पर्याप्त हित हो।</p> <p>(च) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल, वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी के सिवाय अन्य व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(छ) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्ति जिनकी कारोबार या वृत्ति और वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1(2), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p><b>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर फर्मों/व्यक्तियों के संगम/व्यष्टि निकायों के सभी मामले जिनके कारोबार/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एम' से 'आर' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) भागीदार/सदस्य जिनका ऊपर (क) में बताए गए सत्ताओं में पर्याप्त हित हो।</p>

		<p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल, वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी के सिवाय अन्य व्यक्तियों के सभी मामले जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एम' से 'आर' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(घ) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्ति जिनकी कारोबार या वृत्ति और वेतन से भिन्न स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एम' से 'आर' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1(3), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p><b>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर फर्मों/व्यक्तियों के संगम/व्यष्टि निकायों के सभी मामले जिनके कारोबार/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) भागीदार/सदस्य जिनका ऊपर (क) में बताए गए सत्ताओं में पर्याप्त हित हो।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल, वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी के सिवाय अन्य व्यक्तियों के सभी मामले जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' से 'जेड' तक</p>

	<p>के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(घ) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी कारोबार या वृत्ति और वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1(4), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p><b>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर फर्मों/व्यक्तियों के संगम/व्यष्टि निकायों के सभी मामले जिनके कारोबार/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'एल' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) भागीदार/सदस्य जिनका ऊपर बताए गए सत्ताओं में पर्याप्त हित हो।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल, वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी के सिवाय अन्य व्यक्तियों के सभी मामले जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'एल' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(घ) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी कारोबार या वृत्ति और वेतन से भिन्न अन्य स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कार्य-कलाप का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए</p>

		<p>सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'एल' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
<p><b>आयकर अपर आयुक्त, रेंज-2, तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p><b>आ.उप/सहा. आयुक्त, सर्किल 2(1), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p><b>केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों के सभी मामले जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती हो और जिनकी वेतन से आय होती है और कारोबार या वृत्ति से आय नहीं होती है तथा जिनके निवास/रोज़गार का स्थान उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से अधिक एवं रु.10 करोड से कम हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती हो और जो</p> <p>(i) मेडिकल प्रोफेशनल हो जिनकी वेतन से आय होती है अथवा</p> <p>(ii) अन्य प्रोफेशन (वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी) से आय कमाते हैं और जो उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में या तो रहते हैं अथवा वृत्ति या व्यवसाय या संबंधित कारोबार करते हैं और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से अधिक एवं रु.10 करोड से कम हो।</p> <p>(ग) सहकारी बैंक और सहकारी संघों के सभी मामले जिनकी आय/हानि रु.20 लाख से अधिक एवं रु.10 करोड से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(1), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निवासी गैर निगमित निर्धारिती जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एन' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी <b>केन्द्र/राज्य सरकार</b> से वेतन रूपी आय होती है और कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>

		<p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन से आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य प्रोफेशनल (वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी), जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'जी' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनके निवास/रोजगार/वृत्ति/व्यवसाय का स्थान केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के सीमांतगत प्रदेश में आता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ग) सहकारी बैंक और सहकारी संघों के सभी मामले जो तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के तिरुवनंतपुरम तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिनकी कुल आय इस अधिसूचना की तारीख को रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(2), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निवासी गैर निगमित निर्धारिती जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'जे' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी केन्द्र/राज्य सरकार के अलावा अन्यो से वेतन रूपी आय होती है और कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन से आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य प्रोफेशनल (वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी), जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एच' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनके निवास/रोजगार/वृत्ति/व्यवसाय का स्थान केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के सीमांतगत प्रदेश में आता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ग) सहकारी बैंक और सहकारी संघों के सभी मामले जो तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के नेय्याट्टिनकरा तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिनकी कुल आय इस अधिसूचना की तारीख को रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(3), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निवासी गैर निगमित निर्धारिती जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी केन्द्र/राज्य सरकार से भिन्न अन्यो से वेतन</p>

		<p>रूपी आय होती है और कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर वेतन से आय प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य प्रोफेशनल (वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, वकील और ज्योतिषी), जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनके निवास/रोजगार/वृत्ति/व्यवसाय का स्थान केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के सीमांतगत प्रदेश में आता है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ग) सहकारी बैंक और सहकारी संघों के सभी मामले जो तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के नेडुमड्डाड तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिनकी कुल आय इस अधिसूचना की तारीख को रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(4), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निवासी गैर निगमित निर्धारिती जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ओ' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी केन्द्र/राज्य सरकार से वेतन रूपी आय होती है और कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) सहकारी बैंक और सहकारी संघों के सभी मामले जो तिरुवनंतपुरम राजस्व जिले के काटाकडा तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिनकी कुल आय इस अधिसूचना की तारीख को रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(5), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निवासी गैर निगमित निर्धारिती जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'के' से 'आर' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी केन्द्र/राज्य सरकार के अलावा अन्यो से वेतन रूपी आय होती है और कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>

	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(5), तिरुवनंतपुरम</b>	<p>(ख) सहकारी बैंक और सहकारी संघों के सभी मामले जो तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला के वर्कला और चिरेयिंकीषु तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जिनकी कुल आय इस अधिसूचना की तारीख को रु.20 लाख से कम हो।</p>
<b>आयकर अपर आयुक्त, कोल्लम रेंज</b>	<b>आ.उप/सहा. आयुक्त, सर्किल 1, कोल्लम</b>	<p>केरल राज्य में, (करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर) कोल्लम और (अडूर तालूक को छोड़कर) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिले :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर निम्नलिखित सभी व्यक्तियों के वर्ग जो उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं/जिनके कारोबार का मुख्य स्थान है/पंजीकृत कार्यालय स्थित है और इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार जिनकी पिछले पूरा किए गए निर्धारण में अथवा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से अधिक व रु.10 करोड से कम हो :</p> <p>(क) निवासी गैर निगमित निर्धारिती। (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनी। (ग) निदेशक जिनका उपर्युक्त (ख) में पर्याप्त हित हो। □</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, कोल्लम</b>	<p>केरल राज्य में, (करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर) कोल्लम और (अडूर तालूक को छोड़कर) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिले :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों के सभी वर्ग जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जो उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं/जिनके कारोबार का मुख्य स्थान है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को अथवा नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (वेतन से आय को छोड़कर केवल अन्य मामलों के लिए वित्तीय सीमा लागू है।)</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में है और इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार अथवा नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण के अनुसार जिनकी कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ग) निदेशक जिनका उपर्युक्त (ख) में पर्याप्त हित हो।</p>

	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, कोल्लम</p>	<p>केरल राज्य में, (करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर) कोल्लम और (अडूर तालूक को छोड़कर) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिले :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर गैर कंपनियों के सभी मामले, जो उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं/जिनके कारोबार का मुख्य स्थान है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'के', 'एम', 'ओ' व 'पी' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण के अनुसार अथवा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार जिनकी निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (वेतन से आय को छोड़कर केवल अन्य मामलों के लिए वित्तीय सीमा लागू है।)</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, कोल्लम</p>	<p>केरल राज्य में, (करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर) कोल्लम और (अडूर तालूक को छोड़कर) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिले :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर गैर कंपनियों के सभी मामले, जो उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं/जिनके कारोबार का मुख्य स्थान है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एल', 'क्यू' व 'एस' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण के अनुसार अथवा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार जिनकी निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (वेतन से आय को छोड़कर केवल अन्य मामलों के लिए वित्तीय सीमा लागू है।)</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, कोल्लम</p>	<p>केरल राज्य में, (करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर) कोल्लम और (अडूर तालूक को छोड़कर) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिले :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर गैर कंपनियों के सभी मामले, जो उपर्युक्त सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं/जिनके कारोबार का मुख्य स्थान है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'आर', 'टी' व 'यू' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण के अनुसार निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार जिनकी निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (वेतन से आय को छोड़कर केवल अन्य मामलों के लिए वित्तीय सीमा लागू है।)</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-5, कोल्लम</p>	<p>केरल राज्य में, (करुनागप्पल्लिल तालूक को छोड़कर) कोल्लम और (अडूर तालूक को छोड़कर) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिले :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर</p>

		<p>गैर कंपनियों के सभी मामले, जो उपर्युक्त सीमांतगत प्रदेश में रहते हैं/जिनके कारोबार का मुख्य स्थान है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'जे' व 'एन' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण के अनुसार अथवा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार जिनकी निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (वेतन से आय को छोड़कर केवल अन्य मामलों के लिए वित्तीय सीमा लागू है।)</p>
--	--	---

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	तिरुवनंतपुरम	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	कोट्टयम	
नगर	कोट्टयम	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार अधिकार क्षेत्र
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, कोट्टयम रेंज	आयकर उप/सहायक आयुक्त, सर्किल-1, कोट्टयम	<p>कोट्टयम राजस्व जिला (चंडुनाशशेरी राजस्व तालूक के सिवाय) और इडुक्की राजस्व जिले का पीरुमेडु तालूक :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी हो जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी हो जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती हो।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी हो जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती हो।</p>
	आयकर अधिकारी, वार्ड-1, कोट्टयम	<p>कोट्टयम राजस्व जिला (चंडुनाशशेरी राजस्व तालूक के सिवाय) और इडुक्की राजस्व जिला के पीरुमेडु तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य</p>

		<p>स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' में से किसी अक्षर से शुरू होता है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल या उसके बाद आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, कोट्टयम</b></p>	<p><b>कोट्टयम राजस्व जिला (चङ्ङनाशशेरी राजस्व तालूक के सिवाय) और इडुक्की राजस्व जिला के पीरुमेडु तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' या 'आई' या 'जे' या 'के' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती हो।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल</p>

		<p>आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के 'जी' या 'आई' या 'जे' या 'के' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या बाद में आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती हो।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के 'जी' या 'आई' या 'जे' या 'के' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल या उसके बाद आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, कोट्टयम</b></p>	<p><b>कोट्टयम राजस्व जिले (चङ्ङनाशशरी राजस्व तालूक के सिवाय) और इडुक्की राजस्व जिला के पीरुमेडु तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के 'एम' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के 'एम' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या बाद में आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती हो।</p>

		<p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एम' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या उसके बाद आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, कोट्टयम</b></p>	<p><b>कोट्टयम राजस्व जिला (चड्डनाशशेरी राजस्व तालूक के सिवाय) और इडुक्की राजस्व जिला के पीरुमेडु तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' या 'एस' या 'यू' या 'डब्लू' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतगत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' या 'एस' या 'यू' या 'डब्लू' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या बाद में आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका</p>

	<p>नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' या 'एस' या 'यू' या 'डब्लू' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या उसके बाद आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-5, कोट्टयम</b></p>	<p><b>कोट्टयम राजस्व जिला (चङ्गनाशेरी राजस्व तालूक के सिवाय) और इडुक्की राजस्व जिला के पीरुमेडु तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एफ' या 'एच' या 'एल' या 'टी' या 'वी' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एफ' या 'एच' या 'एल' या 'टी' या 'वी' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या बाद में आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एफ' या 'एच' या 'एल' या 'टी' या 'वी' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जो 1 अप्रैल को या उसके बाद आयकर विवरणी दायर करता है जिसमें कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>

<p>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, तिरुवल्ला</p>	<p>आयकर उप/सहायक आयुक्त, सर्किल-1, तिरुवल्ला</p>	<p>केरल राज्य में</p> <p>पत्तनमतिट्टा राजस्व जिला (अडूर राजस्व तालूक के सिवाय) के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और आलप्पुषा राजस्व जिला के चेड्डन्नूर और मावेलिक्करा तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और कोट्टयम राजस्व जिला के चड्डनाशशेरी तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु. 20 लाख या उससे अधिक दर्शाती है।</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, तिरुवल्ला</p>	<p>केरल राज्य में</p> <p>(अडूर राजस्व तालूक के सिवाय) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिला के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और आलप्पुषा राजस्व जिला के चेड्डन्नूर और मावेलिक्करा तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और कोट्टयम राजस्व जिला के चड्डनाशशेरी तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी</p>

		<p>वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'जी' में से किसी अक्षर से शुरु होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतगत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'जी' में से किसी अक्षर से शुरु होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'जी' में से किसी अक्षर से शुरु होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, तिरुवल्ला</b></p>	<p>केरल राज्य में</p> <p>(अडूर राजस्व तालूक के सिवाय) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिला के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र और आलप्पुषा राजस्व जिला के चेड्डन्नूर और मावेलिककरा तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र और कोट्टयम राजस्व जिला के चड्डनाशशेरी तालूक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जे' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' में से किसी अक्षर से शुरु होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>

		<p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जे' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46) और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13 बी के तहत छूट का दावा करने वालों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जे' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 127 के तहत विनिर्दिष्ट रूप से सौंपे गए/ सौंप दिए जाने वाले अन्य कोई मामले।</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, तिरुवल्ला</p>	<p>1. केरल राज्य में (अडूर राजस्व तालूक के सिवाय) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिला के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और आलप्पुषा राजस्व जिला के चेड्डन्नूर और मावेलिककरा तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और कोट्टयम राजस्व जिला के चड्डनाशशेरी तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर 1 में बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'वी' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति</p>

		<p>के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'वी' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'वी' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, तिरुवल्ला</b></p>	<p><b>केरल राज्य में</b></p> <p><b>(अडूर राजस्व तालूक के सिवाय) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिला के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और आलप्पुषा राजस्व जिला के चेड्डन्नूर और मावेलिककरा तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और कोट्टयम राजस्व जिला के चड्डनाशशेरी तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' या 'टी' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' या 'टी' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम</p>

		<p>अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' या 'टी' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-5, तिरुवल्ला</p>	<p>केरल राज्य में</p> <p>(अडूर राजस्व तालूक के सिवाय) पत्तनमतिट्टा राजस्व जिला के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और आलप्पुषा राजस्व जिला के चेड्डन्नूर और मावेलिककरा तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र और कोट्टयम राजस्व जिला के चड्डनाशशेरी तालूक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'एच' या 'आई' या 'के' या 'एल' या 'यू' या 'डब्लू' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'एच' या 'आई' या 'के' या 'एल' या 'यू' या 'डब्लू' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46) और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13 बी के तहत छूट का दावा करने वालों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'एच' या 'आई' या 'के' या 'एल' या 'यू' या 'डब्लू' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>

<p>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, आलप्पुषा रेंज</p>	<p>आयकर उप/सहायक आयुक्त, सर्किल-1, आलप्पुषा</p>	<p>आलप्पुषा राजस्व जिला (चेङ्ङन्नूर और मावेलिक्करा राजस्व तालूक के सिवाय) के और कोल्लम राजस्व जिला के करुनागप्पल्लिल तालुक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख या उससे अधिक दर्शाती हो।</p>
	<p>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, आलप्पुषा</p>	<p>आलप्पुषा राजस्व जिला (चेङ्ङन्नूर और मावेलिक्करा राजस्व तालूक के सिवाय) के और कोल्लम राजस्व जिला के करुनागप्पल्लिल तालुक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>

		<p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, आलप्पुषा</b></p>	<p><b>आलप्पुषा राजस्व जिला (चेड्डेन्नूर और मावेलिककरा राजस्व तालूक के सिवाय) के और कोल्लम राजस्व जिला के करुनागप्पल्लि तालुक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एच' या 'आइ' या 'जे' या 'एल' या 'एम' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एच' या 'आइ' या 'जे' या 'एल' या 'एम' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से</p>

		<p>आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एच' या 'आइ' या 'जे' या 'एल' या 'एम' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, आलप्पुषा</b></p>	<p><b>आलप्पुषा राजस्व जिला (चेड्डन्नूर और मावेलिक्करा राजस्व तालूक के सिवाय) के और कोल्लम राजस्व जिला के करुनागप्पल्लि तालुक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतर्गत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतर्गत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, आलप्पुषा</b></p>	<p><b>आलप्पुषा राजस्व जिला (चेड्डन्नूर और मावेलिक्करा राजस्व तालूक के सिवाय) के और कोल्लम राजस्व जिला के करुनागप्पल्लि तालुक के सीमांतर्गत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p>

		<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' या 'यू' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतगत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' या 'यू' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' या 'यू' से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-5, आलप्पुषा</b></p>	<p><b>आलप्पुषा राजस्व जिला (चेड्डेन्नूर और मावेलिककरा राजस्व तालूक के सिवाय) के और कोल्लम राजस्व जिला के करुनागप्पल्लि तालुक के सीमांतगत अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रदेश :</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्ति जो कंपनी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' या 'के' या 'टी' या 'वी' या 'डब्लू' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ख) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति के सिवाय</p>

		<p>अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर बताए गए सीमांतगत रहते हैं या कार्य करते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' या 'के' या 'टी' या 'वी' या 'डब्लू' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरु होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p> <p>(ग) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर कंपनी इतर व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार या वृत्ति का मुख्य स्थान ऊपर बताए गए सीमांतगत आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' या 'के' या 'टी' या 'वी' या 'डब्लू' या 'एक्स' या 'वाइ' या 'इजेड' में से किसी अक्षर से शुरु होता है और प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के अनुसार जिनकी आयकर विवरणी में कुल आय या हानि रु.20 लाख से कम दर्शाती है।</p>
--	--	---

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	प्र.मु.आ.आ., कोच्ची	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	आ.आ., कोच्ची-1	
नगर	कोच्ची	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार अधिकार क्षेत्र
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, (निगमित) विशेष रेंज, कोच्ची	आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, (निगमित) विशेष रेंज, कोच्ची	<p>1. केरल राज्य में</p> <p>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक ।</p> <p>ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र ।</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.10 करोड या उससे अधिक हो ।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो ।</p>
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, (निगमित) रेंज-1, कोच्ची	आ.उ./सहा. आयुक्त, (निगमित), सर्किल-1(1), कोच्ची	<p>1. केरल राज्य में</p> <p>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक ।</p> <p>ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र ।</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक के किसी अक्षर से शुरु होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक और रु.10 करोड से कम हो ।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो ।</p>

<p>आ.उ./सहा. आयुक्त, (निगमित), सर्किल-1(2), कोच्ची</p>	<p>1. केरल राज्य में i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक । ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र ।</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक और रु.10 करोड से कम हो । (ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो ।</p>
<p>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 1(1), कोच्ची</p>	<p>1. केरल राज्य में i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक । ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र ।</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए', 'बी' और 'आइ' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो । (ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो ।</p>
<p>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 1(2), कोच्ची</p>	<p>1. केरल राज्य में i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक । ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र ।</p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'सी', 'डी' और 'ई' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से</p>

		<p>कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
	<p>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 1(3), कोच्ची</p>	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एफ', 'जी', 'एच' और 'जे' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
	<p>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 1(4), कोच्ची</p>	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'के', 'एल' और 'एम' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
<p>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, (निगमित) रेंज-2, कोच्ची</p>	<p>आ.उ./सहा. आयुक्त, (निगमित), सर्किल-2(1), कोच्ची</p>	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेड् तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी</p>

		<p>अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक और रु.10 करोड़ से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 2(1), कोच्ची</b></p>	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 2(2), कोच्ची</b></p>	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'आर', 'एन' और 'जेड' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 2(3), कोच्ची</b></p>	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p>

		<p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'पी' और 'क्यू' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 2(4), कोच्ची	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ओ' &amp; 'टी' में से किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>	
आयकर अधिकारी (निगमित), वार्ड 2(5), कोच्ची	<p><b>1. केरल राज्य में</b></p> <p><b>i. एरणाकुलम जिला के सभी तालूक।</b></p> <p><b>ii. पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूक, और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।</b></p> <p>(क) अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निवासी कंपनियाँ जिनका पंजीकृत कार्यालय ऊपर बताए गए प्रदेश में हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'यू' से 'वाइ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) व्यक्ति जो निदेशक होते हैं और जिनका (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>	

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	प्र.मु.आ.आ., कोच्ची	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	आ.आ., कोच्ची-2	
नगर	कोच्ची	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व भाष सं.) दूर भाष सं.	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार अधिकार क्षेत्र
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-1 (गैर निगमित), कोच्ची	आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1(1), (गैर निगमित), कोच्ची	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो।
	आयकर अधिकारी वार्ड 1(1), (गैर निगमित) कोच्ची	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	आयकर अधिकारी वार्ड 1(2), (गैर निगमित) कोच्ची	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'जे' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	आयकर अधिकारी वार्ड 1(3), (गैर निगमित) कोच्ची	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'के' से 'एन' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	आयकर अधिकारी वार्ड 1(4), (गैर निगमित) कोच्ची	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ओ' से 'एस' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।

	<b>आयकर अधिकारी वार्ड 1(5), (गैर निगमित) कोच्ची</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'टी' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
<b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-2 (गैर निगमित), कोच्ची</b>	<b>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-2(1), (गैर निगमित), कोच्ची</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कोच्ची तालूक और लक्षद्वीप व मिनिक्कॉय द्वीप के संघशासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले, जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो।
	<b>आयकर अधिकारी वार्ड 2(1), (गैर निगमित) कोच्ची</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनकी कारोबार या वृत्ति से अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है तथा वेतन/पेंशन से आय होती है और जिनके निवास/रोज़गार का स्थान केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'आई' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो तथा (i) बी पी सी एल, कोच्ची और हिन्दुस्तान ऑर्गानिक लि., कोच्ची के कर्मचारियों के सभी मामले (ii) केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी मामले (iii) एरणाकुलम जिला के कोच्ची और कणयन्नूर राजस्व तालूक के अंतर्गत आनेवाले आयकर विभाग के कर्मचारियों के सभी मामले।
	<b>आयकर अधिकारी वार्ड 2(2), (गैर निगमित) कोच्ची</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनकी कारोबार या वृत्ति से अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है तथा वेतन/पेंशन से आय होती है और जिनके निवास/रोज़गार का स्थान केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जे' से 'क्यू' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो।
	<b>आयकर अधिकारी वार्ड 2(3), (गैर निगमित) कोच्ची</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनकी कारोबार या वृत्ति से अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है तथा वेतन/पेंशन से आय होती है और जिनके निवास/रोज़गार का स्थान केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कणयन्नूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'आर' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो।

	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(4), (गैर निगमित) कोच्ची [मट्टांचेरी]</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कोच्ची तालूक और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप और मिनिक्कॉय द्वीप समूहों के सीमांतर्गत प्रदेश में आनेवाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'ओ' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणियों के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(5), (गैर निगमित), कोच्ची [मट्टांचेरी]</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के कोच्ची तालूक और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप और मिनिक्कॉय द्वीप समूहों के सीमांतर्गत प्रदेश में आनेवाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'पी' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणियों के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।</p>
<p><b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, आलुवा रेंज (गैर निगमित), आलुवा</b></p>	<p><b>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1 (गैर निगमित), आलुवा</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी गैर कंपनी मामले जो</p> <p>(i) एरणाकुलम जिला के परवूर, आलुवा, कुन्नत्तुनाडु, मूवाट्टुपुषा और कोतमंगलम</p> <p>(ii) पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूकों</p> <p>के सीमांतर्गत प्रदेश में आते हैं और जिनकी फाइल की गई नवीनतम आयकर विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो ।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1 (गैर निगमित), आलुवा</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के परवूर, आलुवा, और कुन्नत्तुनाडु तालूकों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'जी' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2 (गैर निगमित), आलुवा</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के परवूर, आलुवा, और कुन्नत्तुनाडु तालूकों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एच' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।</p>

	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 3 (गैर निगमित), आलुवा</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के परवूर, आलुवा, और कुन्नत्तुनाडु तालूकों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1 (गैर निगमित), तोडुपुषा</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के मूवाटुपुषा और कोतमंगलम तालूकों तथा पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूकों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2 (गैर निगमित), तोडुपुषा</b>	अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर केरल राज्य के एरणाकुलम जिला के मूवाटुपुषा और कोतमंगलम तालूकों तथा पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूकों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी गैर कंपनी मामले जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू है ) से कम हो ।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	कोच्ची	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	तृशूर	
नगर	तृशूर	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार अधिकार क्षेत्र
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-1, तृशूर	आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1(1), तृशूर	<p>केरल राज्य में, तृशूर राजस्व जिला :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (क) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो।</p> <p>(ख) निदेशक जिनका क्रमांक (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
	आयकर अधिकारी, वार्ड 1(1), तृशूर	<p>केरल राज्य में,</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (क) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय तृशूर राजस्व जिला के अंतर्गत हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'जे' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) निदेशक जिनका क्रमांक (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p> <p>(ग) सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती हो और जिनके निवास/रोजगार का स्थान आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आनेवाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला के अंतर्गत आता हो और जिनकी कारोबार या वृत्ति से अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है तथा वेतन/पेंशन से जिनकी आय होती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'जे' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए ही लागू है) से कम हो।</p>

<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1(2), तृशूर</b></p>	<p><b>केरल राज्य में,</b> अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (क) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं, जिनका पंजीकृत कार्यालय तृशूर राजस्व जिला के अंतर्गत हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'के' से 'क्यू' तक के और 'वी' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (ख) निदेशक जिनका क्रमांक (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो। (ग) सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती हो और जिनके निवास/रोजगार का स्थान आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आनेवाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला के अंतर्गत आता हो और जिनकी कारोबार या वृत्ति से अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है तथा वेतन/पेंशन से जिनकी आय होती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'के' से 'क्यू' तक के और 'वी' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए ही लागू है) से कम हो।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1(3), तृशूर</b></p>	<p><b>केरल राज्य में,</b> अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (क) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं, जिनका पंजीकृत कार्यालय तृशूर राजस्व जिला के अंतर्गत हो और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'आर' से 'यू' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो। (ख) निदेशक जिनका क्रमांक (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो। (ग) सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती हो और जिनके निवास/रोजगार का स्थान आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आनेवाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला के अंतर्गत आता हो और जिनकी कारोबार या वृत्ति से अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है तथा वेतन/पेंशन से जिनकी आय होती है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'आर' से 'यू' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और</p>

		जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए ही लागू है) से कम हो।
	आयकर अधिकारी, वार्ड 1, गुरुवायूर	केरल राज्य में, (क) तृशूर जिला का चावक्काड तालूक (ख) समूचा कुन्नकुलम नगरपालिका (ग) तलप्पिल्लि राजस्व तालूक के चूडल, चोवन्नूर, देशमंगलम, एरुमपेटी, कडडुडोड, कडवल्लूर, कंडानशशेरी, काटाकांबाल, पोक्कुलम, वरवूर और वेलूर पंचायत  अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए ही लागू है) से कम हो।
	आयकर अधिकारी, वार्ड 2, गुरुवायूर	केरल राज्य में, (क) तृशूर जिला का चावक्काड तालूक (ख) समूचा कुन्नकुलम नगरपालिका (ग) तलप्पिल्लि राजस्व तालूक के चूडल, चोवन्नूर, देशमंगलम, एरुमपेटी, कडडुडोड, कडवल्लूर, कंडानशशेरी, काटाकांबाल, पोक्कुलम, वरवूर और वेलूर पंचायत  अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए ही लागू है) से कम हो।
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-2, तृशूर	आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-2(1), तृशूर	केरल राज्य में – तृशूर राजस्व जिला : अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा

	इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो ।
आयकर अधिकारी, वार्ड-2(1), तृशूर	<p>केरल राज्य में – आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आने वाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एफ' तक और 'यू' में से किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
आयकर अधिकारी, वार्ड-2(2), तृशूर	<p>केरल राज्य में – आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आने वाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'जी' से 'के' तक और 'डब्लु' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
आयकर अधिकारी, वार्ड-2(3), तृशूर	<p>केरल राज्य में – आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आने वाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एल' से 'ओ' तक और 'वी' में से किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
आयकर अधिकारी, वार्ड-2(4), तृशूर	<p>केरल राज्य में – आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आने वाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'पी' से 'आर' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>

	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2(5), तृशूर</b></p>	<p><b>केरल राज्य में – आयकर कार्यालय, गुरुवायूर के अधीन आने वाले प्रदेश को छोड़कर तृशूर राजस्व जिला :</b></p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' और 'टी' में से किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
<p><b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, पालक्काड रेंज, आयुक्त, पालक्काड</b></p>	<p><b>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1, पालक्काड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में, तृशूर राजस्व जिला :</b></p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (क) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो।</p> <p>(ख) निदेशक जिनका क्रमांक (क) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p> <p>(ग) सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, पालक्काड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में – पालक्काड जिला का पालक्काड राजस्व तालूक :</b></p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' और 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू होती है) कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, पालक्काड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में – पालक्काड जिला का पालक्काड राजस्व तालूक :</b></p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' और 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की</p>

		<p>तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू होती है ) कम हो ।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, पालक्काड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में – पालक्काड जिला के ओट्टुप्पालम और पट्टाम्बि राजस्व तालूक :</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्ति जो निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू होती है ) कम हो ।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, पालक्काड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में :</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर</p> <p>(क) सभी व्यक्ति जो पालक्काड जिला के मण्णाक्काड राजस्व तालूक में आने वाले निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू होती है ) कम हो ।</p> <p>(ख) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय पालक्काड जिले में है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे कम हो ।</p> <p>(ग) निदेशक जिनका क्रमांक (ख) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो ।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड-5, पालक्काड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में :</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर</p> <p>(क) सभी व्यक्ति जो पालक्काड जिला के आलत्तूर और चिट्टूर राजस्व तालूकों में आने वाले निवासी गैर निगमित निर्धारिती होते हैं जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख से (वित्तीय सीमा केवल वेतन से भिन्न आय के लिए लागू होती है ) कम हो ।</p>

		<p>(ख) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय पालक्काड जिले में है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता हो और जिनकी इस अधिसूचना की तारीख को नवीनतम पूरा किए गए निर्धारण में निर्धारित कुल आय/हानि अथवा इस अधिसूचना की तारीख को निर्धारण के लिए लंबित विवरणी में कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे कम हो।</p> <p>(ख) निदेशक जिनका क्रमांक (ख) में उल्लिखित कंपनियों में पर्याप्त हित हो।</p>
--	--	---

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	कोच्ची	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	कोषिककोड	
नगर	कोषिककोड	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार अधिकार क्षेत्र
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-1, कोषिककोड	आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1(1), कोषिककोड	<p>केरल राज्य में कोषिककोड राजस्व जिले में कोषिककोड नगर पालिका :</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (1) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान उपर्युक्त सीमांतगत प्रदेश में आता है ;</p> <p>(2) ऊपर क्रमांक (1) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंधकीय निदेशक/निदेशक/प्रबंधक/सचिव;</p> <p>(3) अन्य सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा/अथवा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो ।</p>
	आयकर अधिकारी, वार्ड 1(1), कोषिककोड	<p>केरल राज्य में कोषिककोड राजस्व जिले में कोषिककोड नगर पालिका :</p> <p>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1(1)/आय. अधि. 1(5), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'जी' तक के किसी अक्षर से शुरु होता है और जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	आयकर अधिकारी, वार्ड 1(2), कोषिककोड	<p>केरल राज्य में कोषिककोड राजस्व जिले में कोषिककोड नगर पालिका :</p> <p>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1(1)/आय. अधि. 1(5), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एच' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरु होता है और जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>

	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1(3), कोषिककोड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में कोषिककोड राजस्व जिले में कोषिककोड नगर पालिका :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1(1)/आय. अधि. 1(5), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एन' से 'आर' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1(4), कोषिककोड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में कोषिककोड राजस्व जिले में कोषिककोड नगर पालिका :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1(1)/आय. अधि. 1(5), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एस' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है और जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा/अथवा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी, वार्ड 1(5), कोषिककोड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में कोषिककोड राजस्व जिले में कोषिककोड नगर पालिका :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1(1), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी वेतन आय होती है, लेकिन कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और जिनके निवास या कार्य या रोजगार का स्थान उपर्युक्त सीमांतगत प्रदेश में आता है और जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा/अथवा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।</p>
<p><b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-2, कोषिककोड</b></p>	<p><b>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-2(1), कोषिककोड</b></p>	<p><b>केरल राज्य में कोषिककोड नगर पालिका और वयनाड राजस्व जिला के अंतर्गत प्रदेशों को छोड़कर कोषिककोड राजस्व जिला :</b> अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (1) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान उपर्युक्त सीमांतगत प्रदेश में आता है ; (2) ऊपर क्रमांक (1) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंधकीय निदेशक/निदेशक/प्रबंधक/सचिव; (3) अन्य सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा/अथवा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो।</p>

	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(1), कोषिककोड</b>	<b>केरल राज्य में कोषिककोड जिले में कोयिलांडि राजस्व तालूक :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 2(1), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(2), कोषिककोड</b>	<b>केरल राज्य में कोषिककोड जिले में वडकरा राजस्व तालूक :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 2(1), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(3), कोषिककोड</b>	<b>केरल राज्य में (कोषिककोड नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले प्रदेश को छोड़कर) कोषिककोड राजस्व तालूक और कोषिककोड जिले में तामरश्शेरी :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 2(1), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(4), कोषिककोड</b>	<b>केरल राज्य में वयनाड जिला का वाइत्तिरि राजस्व तालूक</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 2(1), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड 2(5), कोषिककोड</b>	<b>केरल राज्य में वयनाड जिला के मानंतवाडी और सुल्तान बत्तेरी राजस्व तालूक :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 2(1), कोषिककोड और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो।
<b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, तिरूर रेंज</b>	<b>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1, तिरूर</b>	<b>केरल राज्य में मलप्पुरम राजस्व जिला :</b> अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (1) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय

		<p>अथवा कारोबार का मुख्य स्थान उपर्युक्त सीमांतगत प्रदेश में आता है ;</p> <p>(2) ऊपर क्रमांक (1) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंधकीय निदेशक/निदेशक/प्रबंधक/सचिव;</p> <p>(3) अन्य सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा/अथवा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, तिरूर</b>	<p><b>केरल राज्य में मलप्पुरम जिले का तिरूर राजस्व तालूक :</b></p> <p>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, तिरूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, तिरूर</b>	<p><b>केरल राज्य में मलप्पुरम जिला के एरनाड और निलंबूर राजस्व तालूक :</b></p> <p>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, तिरूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, तिरूर</b>	<p><b>केरल राज्य में मलप्पुरम जिला के कोंडोट्टि और तिरूरड्डाडि राजस्व तालूक :</b></p> <p>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, तिरूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, तिरूर</b>	<p><b>केरल राज्य में मलप्पुरम जिला के पोन्नानि और पेरितलमण्णा तालूक :</b></p> <p>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, तिरूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
<b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, कण्णूर रेंज</b>	<b>आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल-1, कण्णूर</b>	<p><b>केरल राज्य में कण्णूर और कासरगोड राजस्व जिले तथा पुतुचेरी संघ शासित क्षेत्र का माही जिला :</b></p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, (1) सभी व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होते हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय</p>

		<p>अथवा कारोबार का मुख्य स्थान उपर्युक्त सीमांतगत प्रदेश में आता है ;</p> <p>(2) ऊपर क्रमांक (1) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंधकीय निदेशक/निदेशक/प्रबंधक/सचिव;</p> <p>(3) अन्य सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा/अथवा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, कण्णूर</b>	<p><b>केरल राज्य में कण्णूर जिले में कण्णूर राजस्व तालूक :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, कण्णूर एवं वार्ड 1(3), कण्णूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, कण्णूर</b>	<p><b>केरल राज्य में कण्णूर जिले में तलशेशेरी राजस्व तालूक और पुतुचेरी संघशासित क्षेत्र का माहि जिला :</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, कण्णूर एवं वार्ड 1(3), कण्णूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-3, कण्णूर</b>	<p>सर्किल 1, कण्णूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर,</p> <p>(1) <b>वेतन आय</b> प्राप्त सभी व्यक्ति जिन्हें कारोबार या वृत्ति से कोई आय नहीं होती है और जिनके निवास या कार्य या रोजगार का स्थान <b>कण्णूर राजस्व जिला और पुतुचेरी संघ शासित क्षेत्र के माहि जिले</b> में आता है और जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p> <p>(2) कण्णूर जिला के <b>इरिट्टि तालूक</b> के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।</p>
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-4, कण्णूर</b>	<p><b>केरल राज्य में कण्णूर जिले में तलिपरम्बा राजस्व तालूक</b> आ.उ./सहा. आयुक्त, सर्किल 1, कण्णूर एवं वार्ड 1(3), कण्णूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले</p>

		के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-1, कासरगोड</b>	<b>केरल राज्य में कासरगोड जिले में कासरगोड और मंचेश्वरम राजस्व जिले :</b> सर्किल 1, कण्णूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।
	<b>आयकर अधिकारी, वार्ड-2, कासरगोड</b>	<b>केरल राज्य में कासरगोड जिले में होसदुर्ग और वेल्लरिकुंडु राजस्व जिले :</b> सर्किल 1, कण्णूर और अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी व्यक्ति जिनकी नवीनतम निर्धारण वर्ष की नवीनतम विवरणी के अनुसार तथा ठीक पहले के वित्त वर्ष की 31 मार्च को लंबित किसी संवीक्षा निर्धारण में दर्शाई गई आय/हानि रु.20 लाख से कम हो ।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	मु.आ.आ.(छूट), दिल्ली	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	आ.आ.(छूट), कोच्ची	
नगर	कोच्ची	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार क्षेत्राधिकार
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), कोच्ची सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018 □ दूर भाष सं.0484 – 2795500	आ.उ./सहा. आयुक्त (छूट), सर्किल, कोच्ची सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018 □ दूर भाष सं.0484 – 2795500	केरल राज्य में (क) एरणाकुलम राजस्व जिले में कणयन्नूर तालूक (ख) लक्षद्वीप और मिनिक्कॉय द्वीपसमूह के समूचे संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी)), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
	आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, कोच्ची सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018 □ दूर भाष सं.0484 – 2795500	केरल राज्य में (क) कणयन्नूर तालूक को छोड़कर एरणाकुलम राजस्व जिला (ख) पीरुमेडु तालूक को छोड़कर इडुक्की राजस्व जिला के सभी तालूकों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी)), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
	आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, तृशूर	केरल राज्य में (क) तृशूर और पालक्काड राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी)), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।

	<b>आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, कोषिककोड</b>	केरल राज्य में वयनाड, मलप्पुरम और कोषिककोड राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
	<b>आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, कण्णूर</b>	केरल राज्य में कासरगोड, कण्णूर राजस्व जिलों और पुतुचेरी संघ शासित क्षेत्र के माहि जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
<b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), तिरुवनंतपुरम</b>	<b>आ.उ./सहा. आयुक्त (छूट), सर्किल, तिरुवनंतपुरम</b>	केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला में तिरुवनंतपुरम नगरपालिका के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
	<b>आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, तिरुवनंतपुरम</b>	केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम नगरपालिका को छोड़कर तिरुवनंतपुरम राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
	<b>आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, कोल्लम</b>	केरल राज्य में, कोल्लम राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
	<b>आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, आलप्पुषा</b>	केरल राज्य में, आलप्पुषा और पत्तनमतिट्टा राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।

	<b>आयकर अधिकारी, (छूट), वार्ड, कोट्टयम</b>	केरल राज्य में, कोट्टयम राजस्व जिला और इडुक्की जिला के पीरुमेडु तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों के मामले जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (21), (22), (22ए), (22बी), (23), (23ए), (23ए ए ए), (23बी), (23सी), (23एफ), (23एफए), (24), (46), और (47), धारा 11, धारा 12, धारा 13ए और धारा 13बी के तहत छूट का दावा करते हो।
--	--	---

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	प्र. मु.आ.आ., केरल	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	आ.आ.(टीडीएस), कोच्ची	
नगर	कोच्ची	
रैंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार क्षेत्राधिकार
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (टीडीएस), कोच्ची  सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018□ दूर भाष सं.0484 – 2795500	आ.उ./सहा. आयुक्त (टीडीएस), कोच्ची  सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018□ दूर भाष सं.0484 – 2795500	(1) एरणाकुलम जिला, इडुक्की जिला में तोडुपुषा, देविकुलम और उडुम्पनचोला तालूक और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश।  अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने रु.5,00,000 या उससे अधिक स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है और जो  (क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।  (ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।  (ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।  (घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (1) में उल्लिखित

		<p>सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), कोच्ची</b></p>	<p>(1) एरणकुलम जिला, इडुक्की जिला में तोडुपुषा, देविकुलम और उडुम्पनचोला तालूक और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश।</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने रु.5,00,000 से कम स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>

	<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), तृशूर</b></p> <p><b>आयकर भवन, शक्तन तंपुरान नगर, तृशूर, केरल – 680 001 □</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद् (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय के सिवाय अन्य स्रोतों से आय होती है और जो केरल राज्य में तृशूर राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में तृशूर राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में तृशूर राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो केरल राज्य में तृशूर राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा उनके कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), पालक्काड</b></p> <p>चुंडक्कयिल कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, मंञ्जक्कुलम रोड, पालक्काड – 678 014 दूर भाष 0491- 2500054</p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद् (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है और जो केरल राज्य में पालक्काड राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर</p>

		<p>कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में पालक्काड राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में पालक्काड राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो केरल राज्य में पालक्काड राजस्व जिला के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा उनके कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), कोषिककोड</b> आयकर भवन, न्यू अनेक्सर बिल्डिंग (नॉर्थ ब्लॉक, कोषिककोड – 673 001 दूर भाष 0495- 2727558</p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद् (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है जो केरल राज्य में कोषिककोड/वयनाड/मलप्पुरम राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में कोषिककोड/वयनाड/मलप्पुरम राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p>

		<p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में कोषिककोड/वयनाड/मलप्पुरम राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो केरल राज्य में कोषिककोड/वयनाड/मलप्पुरम राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा उनके कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), कण्णूर □</b></p>	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है और जो केरल राज्य में कण्णूर और कासरगोड राजस्व जिलों के तथा केरल के अन्दर स्थित पुतुचेरी – माहि संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में कण्णूर और कासरगोड राजस्व जिलों के तथा केरल के अन्दर स्थित पुतुचेरी – माहि संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान केरल राज्य में कण्णूर और कासरगोड राजस्व जिलों के तथा केरल के अन्दर स्थित पुतुचेरी – माहि संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p>

	<b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), कण्णूर</b>	<p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो केरल राज्य में कण्णूर और कासरगोड राजस्व जिलों के तथा केरल के अन्दर स्थित पुतुचेरी – माहि संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा उनके कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
<b>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (टीडीएस), तिरुवनंतपुरम</b>	<b>आ.उ./सहा. आयुक्त (टीडीएस), तिरुवनंतपुरम</b>	<p>(1) तिरुवनंतपुरम और (करुनागप्पल्लि तालूक को छोड़कर) कोल्लम राजस्व जिलों और पत्तनमतिट्टा जिला के अडूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश।</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने रु.5,00,000 या उससे अधिक स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है और जो</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा उनके कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
	<b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), तिरुवनंतपुरम</b>	<p>(1) तिरुवनंतपुरम और (करुनागप्पल्लि तालूक को छोड़कर) कोल्लम राजस्व जिलों और पत्तनमतिट्टा जिला के अडूर तालूक के सीमांतर्गत प्रदेश।</p>

	<p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने रु.5,00,000 से कम स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में रहते हैं अथवा कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), आलप्पुषा</b></p>	<p>(1) केरल राज्य के निम्नलिखित राजस्व जिलों के सीमांतगत प्रदेश :</p> <p>(i) आलप्पुषा और पत्तनमिट्टा (अडूर तालूक को छोड़कर) राजस्व जिले</p> <p>(ii) कोल्लम राजस्व जिले का करुनागप्पल्लि तालूक</p> <p>(iii) कोट्टयम राजस्व जिले का चड्डनाशशेरी तालूक</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने रु.5,00,000 से कम स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का</p>

		<p>संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं अथवा कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
	<p><b>आयकर अधिकारी (टीडीएस), कोट्टयम</b></p> <p>पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्रि रोड, कोट्टयम- पिन-686 001 दूर भाष 2561521 □</p>	<p>(1) केरल राज्य के निम्नलिखित राजस्व जिलों के सीमांतर्गत प्रदेश :</p> <p>(i) कोट्टयम राजस्व जिला (चड्डनाशेरी तालुक को छोड़कर)</p> <p>(ii) इडुक्की जिले का पीरुमेडु तालुक</p> <p>अन्य आयकर प्राधिकारियों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर व्यक्तियों के सभी मामले जिन्होंने रु.5,00,000 से कम स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है अथवा नीचे मद् (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं किया है और जो –</p> <p>(क) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है और जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतर्गत प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा</p>

	<p>194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ख) कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कारोबार या वृत्ति से आय होती है और जिनके कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत कंपनी होती है, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में आता है और जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण किया है।</p> <p>(घ) अन्य कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (1) में उल्लिखित सीमांतगत प्रदेश में रहते हैं अथवा कार्यकलाप का स्थान है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ई, 195, 196ए, 196बी, 196सी और 196डी के सिवाय अध्याय 17 के तहत स्रोत पर कर कटौती/कर का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>
--	---

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	प्र. मु.आ.आ., केरल	
आ.आ. (अपील) का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.		क्षेत्राधिकार
आयकर आयुक्त (अपील)-1, कोच्ची		प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोच्ची-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील
आयकर आयुक्त (अपील)-2, कोच्ची		प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोच्ची-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील
आयकर आयुक्त (अपील)-3, कोच्ची		(क) प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-1 & प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-2 के सीमांतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आयकर आयुक्त (टीडीएस)/आयकर आयुक्त (छूट); (ख) आ.अ./सं.आ. (अंत. करा.), कोच्ची के सभी मामलों (ग) प्र.आ.नि.(अन्वे.), कोच्ची और प्र.आ.नि. (आसू. & आप. अन्वे.), कोच्ची के सभी मामलों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील।
आयकर आयुक्त (अपील)-4, कोच्ची		(क) प्र.आयकर आयुक्त/आ.आ. (सेंट्रल), कोच्ची के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील।
आयकर आयुक्त (अपील), तृशूर		(क) प्र.आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, तृशूर; (ख) प्र.आ.आ./आ.आ., तृशूर के सीमांतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आ.आ.(टीडीएस) & आ.आ. (छूट) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील।
आयकर आयुक्त (अपील), तिरुवनंतपुरम		(क) प्र.आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम; (ख) प्र.आ.आ./आ.आ., तिरुवनंतपुरम के सीमांतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आ.आ. (टीडीएस) & आ.आ. (छूट), के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील।

<p>आयकर आयुक्त (अपील),कोट्टयम</p>		<p>(क) प्र.आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोट्टयम; (ख) प्र.आ.आ./आ.आ., कोट्टयम के सीमांतगत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आ.आ.(टीडीएस) &amp; आ.आ. (छूट), के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील।</p>
<p>आयकर आयुक्त (अपील), कोषिककोड</p>		<p>(क) प्र.आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोषिककोड; (ख) प्र.आ.आ./आ.आ., कोषिककोड के सीमांतगत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आ.आ. (टीडीएस) &amp; आ.आ. (छूट), के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों/व्यक्ति वर्गों की अपील।</p>

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	मु.आ.आ. (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दक्षिण क्षेत्र, बैंगलूर	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	आ.आ.(अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बैंगलूर	
नगर	कोच्ची	
रैंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार क्षेत्राधिकार
<p>आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोच्ची</p> <p>सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018 □ दूर भाष सं.0484 – 2795500</p>	<p>आ.उ./सहा. आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोच्ची</p> <p>सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018 □ दूर भाष सं.0484 – 2795500</p>	<p>(1) निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती सहित सभी कार्य और शक्तियाँ :</p> <p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप धारा (23ए) में बताए गए अनुसार विदेशी कंपनियों सहित अनिवासी व्यक्ति जिनकी लागू दोहरे कराधान बचाव करार के शर्तों के अनुसार लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र सहित प्र. मु.आ. आयुक्त, कोच्ची के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतगत प्रदेशों में स्थित कोई स्थाई स्थापना हो अथवा कोई कारोबार संबंध हो या कोई आय स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त समझी गई हो (ii) भारत में लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र सहित प्र.मु.आ.आयुक्त, कोच्ची के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतगत प्रदेशों में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो अथवा ऐसी समझी गई हो और जिनकी नवीनतम दायर विवरणी/संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी/कंपनियों के संबंध में अंतिम निर्धारित आय के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो और कंपनियों को छोड़कर अन्य निर्धारितियों के संबंध में नवीनतम दायर विवरणी/संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि रु.15 लाख या उससे अधिक हो।</p> <p>(ख) आयकर आयुक्त (अंत. करा.), बैंगलूर अथवा आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (अंत. करा.), कोच्ची द्वारा सौंपे गए अन्य कोई मामला।</p> <p>(2) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र सहित प्र. मु.आ. आयुक्त, कोच्ची के अधिकार क्षेत्र के सीमांतगत स्थित हो, के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कंपनियों को दिए गए भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी,</p>

		196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती के सभी मामले।
	<p><b>आयकर अधिकारी (अंत. करा.), कोच्ची</b></p> <p>सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018☐ दूर भाष सं.0484 – 2795500</p>	<p>(1) नीचे 1(क) व 1(ख) में लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती सहित सभी कार्य और शक्तियाँ :</p> <p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप धारा (23ए) में बताए गए अनुसार विदेशी कंपनियों सहित अनिवासी व्यक्ति जिनकी लागू <b>दोहरे कराधान बचाव करार</b> के शर्तों के अनुसार प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-1, प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-2 और प्र.आ.आ./आ.आ., तृशूर के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतगत प्रदेशों में स्थित कोई स्थाई स्थापना हो अथवा कोई कारोबार संबंध हो या कोई आय स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त समझी गई हो (ii) भारत में, प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-1, प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-2 और प्र.आ.आ./आ.आ., तृशूर के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतगत प्रदेशों में प्रोड्रूत या उड्रूत हुई हो अथवा ऐसी समझी गई हो और जिनकी नवीनतम दायर विवरणी/संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी/कंपनियों के संबंध में अंतिम निर्धारित आय के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो और कंपनियों को छोड़कर अन्य निर्धारितियों के संबंध में नवीनतम दायर विवरणी/ संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि रु.15 लाख से कम हो।</p> <p>(ख) आयकर आयुक्त (अंत. करा.), बैंगलूर अथवा आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (अंत. करा.), कोच्ची द्वारा सौंपे गए अन्य कोई मामला।</p> <p>(2) कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों, जिनकी कारोबार/वृत्ति से अथवा कारोबार या वृत्ति से भिन्न अन्य स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कारोबार का मुख्य स्थान प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-1, प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-2 और प्र.आ.आ./आ.आ., तृशूर के अधिकार क्षेत्र के सीमांतगत स्थित हो, के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कंपनियों को दिए गए भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती के सभी मामले।</p> <p>(3) कंपनियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति जो प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-1, प्र.आ.आ./आ.आ., कोच्ची-2 और प्र.आ.आ./आ.आ., तृशूर के अधिकार क्षेत्र के सीमांतगत आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17/17बी के तहत कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार है।</p>

	<p><b>आयकर अधिकारी (अंत. करा.), कोषिकोड</b></p>	<p>(1) नीचे 1(क) &amp; 1(ख) में लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती सहित सभी कार्य और शक्तियाँ :</p> <p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप धारा (23ए) में बताए गए अनुसार विदेशी कंपनियों सहित अनिवासी व्यक्ति जिनकी लागू <b>दोहरे कराधान बचाव करार</b> के शर्तों के अनुसार पुतुचेरि संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत माहि जिला सहित प्र.आ. आयुक्त/आ.आयुक्त, कोषिकोड के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतर्गत प्रदेशों में स्थित कोई स्थाई स्थापना हो अथवा कोई कारोबार संबंध हो या कोई आय स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त समझी गई हो (ii) भारत में पुतुचेरि संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत माहि जिला सहित प्र.आ.आयुक्त/आ.आयुक्त, कोषिकोड के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतर्गत प्रदेशों में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो अथवा ऐसी समझी गई हो और जिनकी नवीनतम दायर विवरणी/संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी/ कंपनियों के संबंध में अंतिम निर्धारित आय के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख से कम हो और कंपनियों को छोड़कर अन्य निर्धारितियों के संबंध में नवीनतम दायर विवरणी/ संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि रु.15 लाख से कम हो ।</p> <p>(ख) आयकर आयुक्त (अंत. करा.), बैंगलूर अथवा आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (अंत. करा.), कोच्ची द्वारा सौंपे गए अन्य कोई मामला ।</p> <p>(2) कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों, जिनकी कारोबार/वृत्ति से अथवा कारोबार या वृत्ति से भिन्न अन्य स्रोतों से आय होती है और जिनके निवास/कारोबार का मुख्य स्थान पुतुचेरि संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत माहि जिला सहित प्र.आ.आयुक्त/आ.आयुक्त, कोषिकोड के अधिकार क्षेत्र के सीमांतर्गत स्थित हो, के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कंपनियों को दिए गए भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती के सभी मामले ।</p> <p>(3) कंपनियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति जो पुतुचेरि संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत माहि जिला सहित प्र.आ. आयुक्त/ आ.आयुक्त, कोषिकोड के अधिकार क्षेत्र के सीमांतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17/17बी के तहत कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार है ।</p>
--	---	--

	<p><b>आयकर उप/सहायक आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), तिरुवनंतपुरम</b></p>	<p>(1) निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती सहित सभी कार्य और शक्तियाँ :</p> <p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप धारा (23ए) में बताए गए अनुसार विदेशी कंपनियों सहित अनिवासी व्यक्ति जिनकी लागू <b>दोहरे कराधान बचाव करार</b> के शर्तों के अनुसार मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतगत प्रदेशों में स्थित कोई स्थाई स्थापना हो अथवा कोई कारोबार संबंध हो या कोई आय स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त समझी गई हो (ii) भारत में मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के अधिकार क्षेत्र के अधीन सीमांतगत प्रदेशों में प्रोड्यूस या उद्भूत हुई हो अथवा ऐसी समझी गई हो और जिनकी नवीनतम दायर विवरणी/संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी/ कंपनियों के संबंध में अंतिम निर्धारित आय के अनुसार कुल आय/हानि रु.20 लाख या उससे अधिक हो और कंपनियों को छोड़कर अन्य निर्धारितियों के संबंध में नवीनतम दायर विवरणी/संवीक्षा निर्धारण के लिए लंबित विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि रु.15 लाख या उससे अधिक हो ।</p> <p>(ख) आयकर आयुक्त (अंत. करा.), बैंगलूर अथवा आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (अंत. करा.), कोच्ची द्वारा सौंपे गए अन्य कोई मामला ।</p> <p>(2) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों, जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के अधिकार क्षेत्र के सीमांतगत स्थित हो, के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कंपनियों को दिए गए भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ई, 194एल बी, 194 एल बी ए (2), 194 एल सी, 194 एल डी, 195, 196ए, 196बी, 196सी, 196डी और 197 के तहत स्रोत पर कर कटौती के सभी मामले ।</p> <p>(3) कंपनियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति जो मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के अधिकार क्षेत्र के सीमांतगत आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17/17बी के तहत कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार है ।</p>
--	--	---

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल क्षेत्र

मु.आ.आ.	मु.आ.आ. (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूर	
प्र.आ.आ./आ.आ. प्रभार	आ.आ.(मूल्य अंतरण)-2, बेंगलूर	
नगर	कोच्ची	
रेंज (आ.सं.आ./आ.अ.आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	वार्ड/सर्किल (आ.अ./आ.स./उप आ. का पदनाम और कार्यालय पता व दूर भाष सं.)	निर्धारण अधिकारी वार क्षेत्राधिकार
आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (मूल्य अंतरण अधिकारी)-2(3), कोच्ची सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018□ दूर भाष सं.0484 – 2795500	आ.उ./सहा. आयुक्त (मूल्य अंतरण अधिकारी)-2(3)(1), कोच्ची सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018□ दूर भाष सं.0484 – 2795500	व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग जो ऐसे निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारित है अथवा निर्धारण योग्य है जिनके कार्यालय केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में स्थित है।
	आ.उ./सहा. आयुक्त (मूल्य अंतरण अधिकारी)-2(3)(2), कोच्ची सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्ची, केरल – 682 018□ दूर भाष सं.0484 – 2795500	व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग जो ऐसे निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारित है अथवा निर्धारण योग्य है जिनके कार्यालय केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के सीमांतर्गत प्रदेश में स्थित है।